D

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.15( )सरपंच संघ/मांग/विधि/पंरा./2015/**728** जयपुर, दिनांक:**24.11.2015**

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों अथवा अधिकारियों द्वारा स्वयं स्तर पर ग्राम सभा के आयोजन हेतु तिथियां निर्धारित कर, निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ऐसा किया जाना विधि मान्य नहीं है । राज्य में ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8क में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

> **8क. ग्राम सभा और उसकी बैठकें** : (1) प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे।
>
> (2) प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी, पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अन्तिम त्रिमास में:
>
> परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अध्यपेक्षा किये जाने पर **या यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की बैठक ऐसी अध्यपेक्षा या अपेक्षा के पंद्रह दिन के भीतर–भीतर की जायेगी।**

इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रावधानानुसार पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) के द्वारा आवश्यकता समझी जाने पर ही ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये जा सकते हैं, इनके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के आयोजन हेतु तिथियां निर्धारित कर, निर्देशित नहीं किया जा सकता है ।

अतः समस्त संबंधित अधिकारीगण को पाबन्द किया जाता है कि यदि पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा ग्राम सभा आयोजन करने हेतु उन्हें निर्देश प्राप्त हों तो संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा इसकी पालना नहीं कर, प्रकरण पंचायती राज विभाग के ध्यान में लाया जाये । यदि

किसी विभाग या अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण विशेष के निस्तारण हेतु ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करवाया जाना वांछनीय समझा जाये तो ऐसे विभाग या अधिकारी द्वारा स्वयं स्तर पर ग्राम सभा के आयोजन करने हेतु निर्देश जारी नहीं किया जाकर इस आशय का अनुरोध पंचायती राज विभाग से किया जाये । इस प्रकार से प्राप्त अनुरोध के कम में पंचायती राज विभाग द्वारा ही ग्राम सभा आयोजन करने के निर्देश जारी किये जायेंगे ।

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाये ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर ।
6. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
8. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, रारजस्थान ।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप विधि परामर्शी